



This is a digitally signed Gazette, to verify click here.

<http://rajpatrahimachal.nic.in>

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शनिवार, 28 फरवरी, 2015 / 9 फाल्गुन, 1936

हिमाचल प्रदेश सरकार

ADVOCATE GENERAL, DEPARTMENT
HIMACHAL PRADESH, SHIMLA

NOTIFICATION

Shimla, the 12th November, 2014

No. 3-1/78-IV-35359.—Sanction is hereby accorded to the grant of 3 days Earned Leave w.e.f. 10-11-2014 to 12-11-2014 in favour of Shri D.M. Kaushal, Superintendent Grade-I of this department with permission to avail prefix Gazetted Holiday, Second Saturday and Sunday falling on 6th, 7th, 8th & 9th November, 2014.

Certified that Shri D.M.Kaushal, Superintendent Grade-I would have continued to officiate but for his proceeding on 3 days earned Leave and this period of leave will count for annual increment.

Certified that Shri D.M. Kaushal, Superintendent is likely, on the expiry of leave will return for duty to the station from where he proceeds on leave.

By order,
Sd/-
Advocate General.

**ADVOCATE GENERAL, DEPARTMENT
HIMACHAL PRADESH, SHIMLA**

NOTIFICATION

Shimla, the 19th November, 2014

No. 1-13/2013-36544.—Sanction is hereby accorded to the grant of 16 days Earned Leave with effect from 1st to 16th December, 2014 in favour of Smt. Meenakshi Sharma, Additional Advocate General of this department with permission to avail prefix Sunday falling on 30th November, 2014.

Certified that Smt. Meenakshi Sharma, Additional Advocate General would have continued to officiate but for her proceeding on 16 days Earned Leave and this period of leave will count for Continuation of her service.

Certified that the said Smt. Meenakshi Sharma, Additional Advocate General is likely on the expiry of leave to return for duty to the Station from where she proceeded on leave.

By order,
Sd/-
Advocate General.

**In the Court of Dr. Chand Prakash Sharma, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional
Magistrate, Hamirpur (H. P.)**

In the matter of :

1. Amit Kumar aged 28 years, s/o Shri Sher Singh, r/o Krishna Nagar, House No. 10, Ward No. 2, Tehsil & District Hamirpur (H.P.)

2. Nancy Sihotra aged 18 years, d/o Shri Madan Lal, r/o Village Baldoa, P.O. Ghar Jarot, Tehsil Jawali, District Kangra (H.P.).

.. Applicants.

Versus

General Public

Subject.—Notice of Intended Marriage.

Amit Kumar & Nancy Sihotra have filed an application U/S 5 of Special Marriage Act, 1954 alongwith affidavits in the court of undersigned in which they stated that they intend to solemnize their marriage within three calendar months.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 19-3-2015. The objection received after 19-3-2015 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 21-2-2015 under my hand and seal of the court.

Seal.

CHAND PRAKASH SHARMA,
Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Hamirpur (H.P.).

ब अदालत श्री लेख राम धीमान, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

तारीख पेशी : 30-3-2015

श्री केसर सिंह पुत्र श्री रसीला राम, निवासी वूहली ठेहड, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
... आवेदक।

बनाम

आम जनता

... प्रतिवादी।

प्रार्थना—पत्र बराये दरुस्ती नाम राजस्व अभिलेख में रंगीला राम के बजाए रसीला राम दर्ज करने बारे।

उपरोक्त आवेदक श्री केसर सिंह पुत्र श्री रसीला राम, निवासी वूहली ठेहड, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने अदालत हजा में प्रार्थना—पत्र गुजारा है कि वह महाल वूहली ठेहड में भू स्वामी है। राजस्व रिकॉर्ड में उसके पिता का नाम रंगीला राम दर्ज है, जो कि गलत है। अतः उसने रसीला राम दर्ज करने का आग्रह किया है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इस बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 30-3-2015 को अदालत हजा में हाजिर होकर एतराज प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा प्रार्थना—पत्र पर नियमानुसार उचित आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 24-2-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

लेख राम धीमान,
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री सुदर्शन सिंह ठाकुर, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, मुलथान,
जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

श्री फकीर चन्द पुत्र श्री डैहन्जू राम, निवासी गांव नपोहता, डाकघर लोहारडी, तहसील मुलथान, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

दरखास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवम् मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री फकीर चन्द पुत्र श्री डैहन्जू राम, निवासी गांव नपोहता, डाकघर लोहारडी, तहसील मुलथान, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसकी पुत्री रीता देवी का जन्म दिनांक 2-4-1980 को हुआ है जिसका पंजीकरण ग्राम पंचायत लुआई में गलती से अज्ञानतावश नहीं करवाया गया है। अब दर्ज करने के आदेश पारित किए जाएं।

अतः इस नोटिस द्वारा आम जनता व सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को रीता देवी पुत्री फकीर चन्द पुत्र डैहन्जू की जन्म तिथि 2-4-1980 को दर्ज करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 24-3-2015 को समय सुबह 10.00 बजे असालतन या वकालतन इस अदालत में हाजिर आकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। उपरोक्त तिथि के बाद कोई एतराज नहीं सुना जायेगा और नाम पंजीकरण हेतु आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 18-2-2015 को हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

सुदर्शन सिंह ठाकुर,
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
मुलथान, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

श्री बलजीत सिंह पुत्र रामकिशन, निवासी गांव चतरेहड़, डाकघर शाहपुर, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) वादी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

विषय.-प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवम् मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री बलजीत सिंह पुत्र रामकिशन, निवासी गांव चतरेहड़, डाकघर शाहपुर, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी गुजारा है कि मेरे लड़के अमन ठाकुर का जन्म दिनांक 16-9-1988 को हुआ है। लेकिन ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड में दर्ज न है।

अतः इस राजपत्र इशतहार द्वारा आम व सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी भी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 13-3-2015 को पेश कर सकता है। बाद पेशी कोई भी उजर या एतराज नहीं सुना जायेगा तथा प्रार्थी के लड़के की जन्म तिथि को रिकॉर्ड रजिस्टर में दर्ज करने के आदेश कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 9-2-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री रघुवीर सिंह शाशनी, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)

केस नं0 : 10/M.E./T/Misc./2015

दिनांक : 12-2-2015

अगली तारीख पेशी : 11-3-2015

श्री आत्मा राम पुत्र श्री राम चन्द, निवासी जकड़ेहल, डा0 दौघरी, तहसील व जिला कुल्लू (हि0 प्र0)
श्रीमती रूपी देवी पुत्री श्री शानू राम, निवासी जकड़ेहल, तहसील व जिला कुल्लू (हि0 प्र0) प्रार्थीगण।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादीगण।

विषय.—प्रार्थना—पत्र जेर धारा 5(4) हि0 प्र0 रजिस्ट्रीकरण नियम, 2004 विवाह पंजीकरण बारे।

उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण उपरोक्त ने दिनांक 9-2-2015 को इस अदालत में प्रार्थना—पत्र पेश किया है कि उन्होंने दिनांक 10-12-2009 को हिन्दू रीति—रिवाज के अनुसार स्थान जकड़ेहल में शादी कर ली है और तब से पति—पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं परन्तु प्रार्थीगण द्वारा अपनी शादी का इन्द्राज सम्बन्धित पंचायत में नहीं करवाया गया है।

अतः सर्वसाधारण व आम जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगण की शादी को सम्बन्धित पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 11-3-2015 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत पेश होकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज प्राप्त न होने की सूरत में नियमानुसार शादी दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 12-2-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

रघुवीर सिंह शाशनी,
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री रघुवीर सिंह शाशनी, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)

केस नं0 : 12/B.E./T/ Misc./2015

तारीख पेशी : 12-2-2015

अगली तारीख : 11-3-2015

मान्या शर्मा

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

विषय.—प्रार्थना—पत्र अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

मान्या शर्मा पुत्री श्री सुशील शर्मा, निवासी वांशिग, डा0 ववेली, तहसील व जिला कुल्लू (हि0 प्र0) ने इस कार्यालय में प्रार्थना—पत्र दिया है कि उसका जन्म दिनांक 16—12—1991 को हुआ है परन्तु उसकी जन्म तिथि का इन्द्राज किसी कारणवश ग्राम पंचायत वांशिग के अभिलेख में न किया गया है।

अतः इस इशतहार हजा द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को मान्या शर्मा की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 11—3—2015 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असागतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज समागत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 12—2—2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

रघुवीर सिंह शाशनी,
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री रघुवीर सिंह शाशनी, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)

केस नं0 : 9/M.E./T/Misc./2015

दिनांक : 12—2—2015

अगली तारीख पेशी : 11—3—2015

श्री योग राज पुत्र श्री रामू निवासी छानी, डा0 कटराई, तहसील व जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

श्रीमती पूजा पुत्री श्री जोगी राम, निवासी गौशाल, डा0 वाहग, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)
प्रार्थीगण।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादीगण।

विषय.—प्रार्थना—पत्र जेर धारा 5(4) हि0 प्र0 रजिस्ट्रीकरण नियम, 2004 विवाह पंजीकरण बारे।

उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण उपरोक्त ने दिनांक 7—2—2015 को इस अदालत में प्रार्थना—पत्र पेश किया है कि उन्होंने दिनांक 17—7—2013 को हिन्दू रीति—रिवाज के अनुसार स्थान गौशाल में शादी कर ली है और तब से पति—पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं परन्तु प्रार्थीगण द्वारा अपनी शादी का इन्द्राज सम्बन्धित पंचायत में दर्ज नहीं करवाया गया है।

अतः सर्वसाधारण व आम जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगण की शादी को सम्बन्धित पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 11—3—2015 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असागतन या वकालतन हाजिर अदालत पेश होकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज प्राप्त न होने की सूरत में नियमानुसार शादी दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 12—2—2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

रघुवीर सिंह शाशनी,
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री रघुवीर सिंह शाशनी, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)

केस नं0 : 14/B.E./T/ Misc./2015

दिनांक : 12-2-2015

अगली तारीख पेशी : 11-3-2015

तान्या शर्मा

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

विषय.-प्रार्थना-पत्र अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती तान्या शर्मा पुत्री श्री सुशील शर्मा, निवासी वांशिग, डा0 ववेली, तहसील व जिला कुल्लू (हि0 प्र0) ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसका जन्म 20-8-1990 को हुआ है परन्तु उसकी जन्म तिथि का इन्द्राज किसी कारणवश ग्राम पंचायत वांशिग के अभिलेख में न करवाया गया है।

अतः इस इशतहार हजा द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को तान्या शर्मा की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 11-3-2015 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश सम्बन्धित पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 12-2-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

रघुवीर सिंह शाशनी,
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

समक्ष तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, सन्धोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

श्री रणजीत सिंह मढोत्रा पुत्र श्री विधि चन्द, निवासी सन्धोल, डाकघर व तहसील सन्धोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) बजरिया मुख्यारे खास श्रीमती स्वर्ण लता प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

फरीकदोयम।

प्रार्थी श्री रणजीत सिंह मढोत्रा पुत्र श्री विधि चन्द, निवासी सन्धोल, डाकघर व तहसील सन्धोल ने शपथ-पत्र सहित आवेदन किया है कि उसका वास्तविक नाम रणजीत सिंह मढोत्रा है परन्तु राजस्व अभिलेख महाल सन्धोल में प्रार्थी का नाम रणजीत सिंह लिखा गया है, जो गलत है। प्रार्थी ने इसके दुरुस्ती के आदेश चाहे हैं।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दुरुस्ती करने बारा कोई उजर-एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी दिनांक 16-3-2015 को 10.00 बजे इस अदालत में हाजिर होकर अपना उजर पेश कर सकता है। बसूरत गैरहाजिरी एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दुरुस्ती के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

यह इशतहार आज दिनांक 13-2-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
सन्धोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

समक्ष तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, सन्धोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

श्री मनदीप कौडल पुत्र श्री मोहन लाल, निवासी रवाडा, डाकघर व तहसील सन्धोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) बजरिया मुख्यारे खास श्रीमती स्वर्ण लता प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

फरीकदोयम।

प्रार्थी श्री मनदीप कौडल पुत्र श्री मोहन लाल, निवासी रवाडा, डाकघर सन्धोल ने शपथ-पत्र सहित आवेदन किया है कि उसका वास्तविक नाम संदीप कौडल है परन्तु राजस्व अभिलेख महाल नैंगल में प्रार्थी का नाम मन्दीप कुमार लिखा गया है, जो गलत है। प्रार्थी ने इसके दुरुस्ती के आदेश चाहे हैं।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दुरुस्ती करने बारा कोई उजर-एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी दिनांक 16-3-2015 को 10.00 बजे इस अदालत में हाजिर होकर अपना उजर पेश कर सकता है। बसूरत गैरहाजिरी एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दुरुस्ती के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

यह इशतहार आज दिनांक 10-2-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
सन्धोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

समक्ष तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, सन्धोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

श्री संदीप कौडल पुत्र श्री मोहन लाल, निवासी रवाडा, डाकघर व तहसील सन्धोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) बजरिया मुख्यारे खास श्रीमती स्वर्ण लता प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

फरीकदोयम।

प्रार्थी श्री संदीप कौडल पुत्र श्री मोहन लाल, निवासी रवाडा, डाकघर सन्धोल ने शपथ-पत्र सहित आवेदन किया है कि उसका वास्तविक नाम संदीप कौडल है परन्तु राजस्व अभिलेख महाल नैंगल में प्रार्थी का नाम संन्दीप कुमार लिखा गया है, जो गलत है। प्रार्थी ने इसके दुरुस्ती के आदेश चाहे हैं।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दुरुस्ती करने बारा कोई उजर-एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी दिनांक 16-3-2015 को 10.00 बजे इस अदालत में हाजिर होकर अपना उजर पेश कर सकता है। बसूरत गैरहाजिरी एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दुरुस्ती के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

यह इशतहार आज दिनांक 10-2-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-
तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
सन्धोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

ब अदालत कुमारी नीरजा सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, बलद्वाड़ा, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा शीर्षक : मखफूद-उल-खबरी।

सलोचना देवी पत्नी श्री बलबन्त सिंह, निवासी धवोई, डाकघर जैहमत, तहसील बलद्वाड़ा, जिला मण्डी (हि0 प्र0) . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थी।

विषय.-महाल धवोई व विहू मनोटला में दर्ज मखफूद-उल-खबरी के इन्तकाल जो कागजात माल में दर्ज है, को तस्दीक करने बारे।

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में श्रीमती सलोचना देवी पत्नी श्री बलबन्त सिंह, निवासी धवोई, डाकघर जैहमत, तहसील बलद्वाड़ा, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने दिनांक 24-7-2013 को इस अदालत में उपस्थित होकर एक प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उसके पति श्री बलबन्त सिंह सुपुत्र श्री गोपाला, निवासी धवोई, तहसील बलद्वाड़ा अरसा 10 सालों से लापता है तथा उनके मरने या जिन्दा होने की कोई सूचना नहीं है व पिछले 10 सालों में न तो वह घर आया और न ही उसको किसी ने देखा है। प्रार्थना-पत्र में प्रार्थिया ने यह वर्णित किया है कि श्री बलबन्त पुत्र गोपाला के नाम महाल धवोई/509 व विहू मनोटला/511 में मलकियती भूमि दर्ज कागजात माल है व उसकी जायदाद के उचित उत्तराधिकारी मुताबिक परिवार रजिस्टर के प्रार्थिया स्वयं व अमित कुमार पुत्र बलबन्त सिंह है। इसलिये उक्त महालों में दर्ज मलकियती भूमि के मखफूद-उल-खबरी के इन्तकाल बहक उचित उत्तराधिकारी मंजूर करने बारे प्रार्थना की है।

अतः इस इशतहार के माध्यम से श्री बलबन्त सिंह यदि वह जीवित हो तो तथा सर्वसाधारण एवं आम जनता, सगे सम्बन्धियों/रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि बलबन्त मखफूद-उल-खबरी की मलकियती भूमि के मखफूद-उल-खबरी के इन्तकाल जो कागजात माल में दर्ज है उन्हें उसके उपरोक्त उचित उत्तराधिकारी के नाम मंजूर होने बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 13-3-2015 को प्रातः 10 बजे या उससे पूर्व हाजिर आकर प्रस्तुत कर सकता है। उक्त तारीख पेशी के उपरान्त कोई भी उजर/एतराज मान्य न होंगे और मखफूद-उल-खबरी के इन्तकाल मंजूर कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 21-2-2015 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

कुमारी नीरजा शर्मा,
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
बलद्वाड़ा, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

**In the Court of Shri M. R. Bhardwaj (H.A.S.), Sub-Divisional Magistrate, Theog,
District Shimla (H. P.)**

Smt. Roshani d/o Late Shri Matha Ram, r/o Village Havani, Tehsil Theog, District Shimla,
H. P. . . Applicant.

Versus

General Public . . Respondent.

Application under section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Whereas Smt. Roshani d/o Late Shri Matha Ram, r/o Village Havani, Tehsil Theog, District Shimla, H. P. has preferred an application to the undersigned for the registration of her name whose date of birth is 15-6-1973 and her daughter namely Devika whose date of birth is 31-7-1992 and her son namely Nikhil whose date of birth is 30-11-1996 in the record of Gram Panchayat Pargeya, Tehsil Theog, District Shimla (H.P.).

Whereas, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for the entry as mentioned above, may submit his objection in writing in this court on or before 17-3-2015, failing which no objection will be entertained after expiry of date.

Given under my hand and seal of the court on 16-2-2015.

Seal.

M. R. BHARDWAJ,
Sub-Divisional Magistrate,
Theog, District Shimla, Himachal Pradesh.

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील धामी, जिला शिमला (हि0 प्र0)

मुकद्दमा संख्या : 08/2014

तारीख मरजुआ : 19-7-2104

तारीख पेशी : 30-3-2015

श्री दौलत राम पुत्र श्री लेख राम, निवासी ग्राम वीरगढ़, तहसील ठियोग, जिला शिमला (हि0 प्र0)

... वादी।

बनाम

श्री हीरा नन्द पुत्र श्री लेख राम, निवासी ग्राम नावटा, उप-तहसील धामी, जिला शिमला (हि0 प्र0)

... प्रतिवादी।

प्रार्थना-पत्र बरुए जेर धारा 123, हि0 प्र0 भू0-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत भू-विभाजन हेतु।

यह कि श्री दौलत राम पुत्र श्री लेख राम, निवासी ग्राम वीरगढ़, तहसील ठियोग, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र बरुए जेर धारा 123 के अन्तर्गत भू0 विभाजन हेतु अराजी खाता/खतौनी नं0 3/5, खसरा नं0 33, रकबा तादादी 00-12-11 हैक्टेयर, मुताबिक जमाबन्दी वर्ष 2007-08 वाका चक गैजडी, उप-तहसील धामी, जिला शिमला (हि0 प्र0) बारे प्रस्तुत किया है जिसमें प्रतिवादी

नं० 10 राजिन्दर कुमार पुत्र श्री पूरन चन्द व प्रतिवादी नं० 11 सुरेन्द्र कुमार पुत्र पूरन चन्द, प्रतिवादी संख्या 13 ता 19 नरेन्द्र कुमार पुत्र व श्रीमती सुभागयवती, श्रीमती किरण, श्रीमती स्नेहलता, श्रीमती सुषमा पुत्रियां व श्रीमती पूर्णा पत्नी स्व० श्री पूरन चन्द, सभी निवासी महाल हलोग धामी व सरनदास पुत्र श्री धनामल, निवासी हलोग धामी, की तामील हेतु कई बार समन जारी किए गए परन्तु अदम तामील व अधूरा पता होने के कारण तामील न हो सकी। अतः अदालत को विश्वास हो चुका है कि उपरोक्त प्रतिवादीगण की तामील साधारण तरीके से होना मुश्किल है। अतः इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त मुकद्दमा भू-विभाजन बारे कोई उजर व एतराज हो तो स्वयं या लिखित तौर पर दिनांक 30-3-2015 को अपराह्न 2.00 बजे हाजिर अदालत आकर अपना एतराज पेश करें अन्यथा यह समझा जाएगा कि किसी भी सम्बन्धित व्यक्ति को इन आवेदन-पत्रों बारे कोई उजर व एतराज न है तथा आवेदन-पत्रों को अन्तिम रूप दिया जाएगा व एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 23-2-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप-तहसील धामी, जिला शिमला (हि० प्र०)।

**In the Court of Shri M. R. Bhardwaj (H.A.S.), Sub-Divisional Magistrate, Theog,
District Shimla, H. P.**

Shri Virender s/o Shri Deep Ram, r/o Village Halai, Tehsil Theog, District Shimla (H. P.)
.. Applicant.

Versus

General Public
.. Respondent.

Application under section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Whereas, Shri Virender s/o Shri Deep Ram, r/o Village Halai, Tehsil Theog, District Shimla, Himachal Pradesh has moved an application before the undersigned for the registration of name of his son namely Digvijay Singh whose date of birth is 24-9-2010 in the record of Gram Panchayat Sarioun.

Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for the entry of the above mentioned name, may submit objections in writing in this court on or before 24-3-2015, failing which no objection will be entertained after expiry of said date.

Given under my hand and seal of the court on 21-2-2015.

Seal.

M. R. BHARDWAJ,
Sub-Divisional Magistrate,
Theog, District Shimla, Himachal Pradesh.

ब अदालत श्री चेतन चौहान, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रेणुकाजी स्थित संगड़ाह, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

श्री ध्यानू पुत्र श्री मीना, निवासी गनोग, तहसील रेणुकाजी, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री ध्यानू पुत्र श्री मीना, निवासी गनोग, तहसील रेणुकाजी, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने अधिन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उनके पुत्र/पुत्री रोहित कुमार, अंशिका, प्रवीण कुमार क्रमशः जिनकी जन्म तिथियां 10-6-2004, 13-5-2007 व 3-6-2010 हैं के नाम ग्राम पंचायत गनोग के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 18-3-2015 को सुबह दस बजे इस अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करें बसूरत दीगर रोहित कुमार, अंशिका, प्रवीण कुमार के नाम एवं जन्म तिथियों को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 18-2-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

चेतन चौहान,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
रेणुकाजी स्थित संगड़ाह, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

नाम दुरुस्ती

मैं, रामदेव पुत्र स्वर्गीय श्री चरंजी लाल, निवासी वार्ड नं0 1, प्रेमनगर, ऊना (हि0 प्र0) एतद्वारा घोषणा करता हूं कि मेरी धर्मपत्नी का नाम दसवीं के प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर कार्ड में रामदुलारी दर्ज है लेकिन मेरे सारे सर्विस रिकॉर्ड में उसका नाम शान्ता दर्ज है। मैं शपथ-पत्र के साथ घोषित करता हूं कि मेरी पत्नी का नाम रामदुलारी व शान्ता दोनों एक ही व्यक्ति के नाम हैं।

रामदेव,
पुत्र स्वर्गीय श्री चरंजी लाल,
निवासी वार्ड नं0 1, प्रेमनगर, ऊना (हि0 प्र0)।